

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**
(General information relating to Legislative & other Matters)
Wednesday, 13 November 2019/ 22 Kartik, 1941 (*Saka*)

No.161

COMMENCEMENT OF THIRD PART OF EIGHTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Third Part of Eighth Session of Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, 02 December, 2019 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING THIRD PART OF EIGHTH SESSION:

Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 02 & 03 December 2019. Subject to the exigencies of business, the sittings of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day on these days.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Third Part of Eighth Session will be received with immediate effect. As per the directions of Hon'ble Speaker, the Question Hour will be held on 02 & 03 December 2019.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE THIRD PART OF EIGHTH SESSION (RULE 37):

For the Third Part of Eighth session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

S.No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last Date for receipt of questions for the Departments in Col.2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for Oral Questions (At 5.00 PM)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative Reforms • Development • Education • Employment • Higher Education • Information Technology • Irrigation & Flood Control • Law, Justice & Legislative Affairs • Revenue • Training & Technical Education • Vigilance • Family Welfare • Food Safety • Medical & Public Health • Jail • Labour • Land & Building • Transport • PWD • Home • Industries 	02.12.2019 Monday	19.11.2019 Tuesday	19.11.2019 Tuesday

2.	<ul style="list-style-type: none"> • Art, Culture & Language • Cooperative • DUSIB • Election • Environment, Forest & Wild Life • Excise • Finance • Food & Supplies • Gurudwara Election & Administration • Information & Publicity • Planning • Tourism • Trade & Taxes • Urban Development • Power • Water (DJB) • General Administration Department • Services • Social Welfare • Welfare of SC,ST, OBC & Minorities • Women & Child Development 	03.12.2019 Tuesday	20.11.2019 Wednesday	20.11.2019 Wednesday
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Note:

- (1) A Member may give notice of only five questions for a given day {Rule-36 (1)}.
- (2) Each question should primarily relate to one Subject and Department only {(Rule-31 (xxii))}.
- (3) Lengthy questions and/or questions seeking information on different subjects shall be edited to conform to the Rules.
- (4) Members may kindly note that if Notice of question is received after the prescribed deadline, such a Notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be up to 3.00 P.M. of the last date of receipt of Questions for Departments as shown in Column 4 above.
- (5) Where the Questions draws a reference to a news item published in a national or local daily, the Question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The Questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (6) The clubbing of Questions will be done in case several Notices of Question on the same subject matter are received.
- (7) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of Questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (8) Balloting will be held in the room of the Secretary (LA), Room No.-54, as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (9) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure & Conduct of Business for further details and abide by its provisions to avoid disallowing of Notices.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give Notice of the same by **05.00 P.M on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised.** Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary at **12.00 Noon** on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
- (1) Every Notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving Notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day.
 - (2) A Notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) above shall be treated as given on the next working day.
- (b) Every Notice should be signed in ink by the Member giving the Notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**
- (c) All Notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the Notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their Notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITORS' GALLERY: Direction of Hon'ble Speaker regarding issue of Gallery Passes conveyed vide Bulletin Part-II No.105 dated 29 June, 2017 is enclosed for reference of Hon'ble Members.

NOTE:- CELLULAR PHONES OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

**C. Velmurugan
Secretary**

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार 13 नवम्बर, 2019/22 कार्तिक, 1941 (शक)

संख्या- 161

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के आठवें सत्र के तृतीय भाग का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा के आठवें सत्र का तृतीय भाग **सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054** में प्रारंभ होगा।

आठवें सत्र के तृतीय भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 02 एवं 03, दिसम्बर, 2019 के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ायी जा सकती हैं।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक अपराह्न 02.00 बजे से प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक इन दिनों इसे स्थगित नहीं कर दिया जाता।

प्रश्नों की सूचनाएँ:

छठी विधान सभा के आठवें सत्र के तृतीय भाग के लिए प्रश्नों की सूचनाएँ तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 02 एवं 03 दिसम्बर, 2019 को होगा।

आठवें सत्र के तृतीय भाग के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा आठवें सत्र के तृतीय भाग में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है:-

क्रम सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अप. 03.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे तक)
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> • प्रशासनिक सुधार, • विकास, • शिक्षा, • रोजगार, • उच्च शिक्षा, • सूचना प्रौद्योगिकी, • सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, • विधि न्याय एवं विधायी मामले, • राजस्व, • प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, • सर्तकता, • परिवार कल्याण, • खाद्य संरक्षण, • चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, • जेल, • श्रम, • भूमि एवं भवन, • परिवहन, • लोक निर्माण विभाग, • गृह, • उद्योग, 	02.12.2019 सोमवार	19.11.2019 मंगलवार	19.11.2019 मंगलवार

2.	<ul style="list-style-type: none"> ● कला, संस्कृति एवं भाषा, ● सहकारिता, ● दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, ● निर्वाचन, ● पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवन, ● आबकारी, ● वित्त, ● खाद्य एवं आपूर्ति, ● गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, ● सूचना एवं प्रचार, ● योजना, ● पर्यटन, ● व्यापार एवं कर, ● शहरी विकास, ● ऊर्जा ● जल (दिल्ली जल बोर्ड) ● सामान्य प्रशासन विभाग, ● सेवाएं, ● समाज कल्याण, ● अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, ● महिला एवं बाल विकास 	03.12.2019 मंगलवार	20.11.2019 बुधवार	20.11.2019 बुधवार
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

टिप्पणी :-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा {नियम-36 (I)}।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विषय एवं विभाग से संबंधित होना चाहिए {नियम-31 (xxii)}।
3. अत्यधिक लम्बे प्रश्नों और/अथवा अत्यधिक सूचना मॉगने वाले प्रश्नों को नियमों के अनुकूल संपादित कर दिया जाएगा।
4. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाये गए यदि किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। **सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।**
5. जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहाँ ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा (क्लब) कर दिया जाएगा।
7. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (कमरा नं0 54) में दिये गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।
9. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अध्याय -VII का अवलोकन करें तथा सूचनाओं के अस्वीकृत होने से बचने के लिए इसके प्रावधानों का पालन करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य **नियम 280** के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न **05.00 बजे** तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन **मध्याह्न 12.00 बजे** सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:-
1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के दौरान दी जायेगी।
 2. सूचना कार्यालय में उप नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में स्थित है।**
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/ शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ङ) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक- दीर्घा:

दिनांक 29 जून, 2017 को जारी समाचार भाग-2 (संख्या 105) में माननीय अध्यक्ष द्वारा दर्शक- दीर्घा के प्रवेश -पत्र बनाने के लिए दिये गए निर्देश, माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संलग्न हैं।

टिप्पणी:

कृपया सेलुलर फोन, पेजर,या अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

सी. वेलमुरुगन
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General Information relating to legislative & other matters)
Thursday, 29 June, 2017/8 Aashaadh, 1939 (Shaka)

No. 105

Subject: "Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes".

The Directions of the Hon'ble Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are hereby reiterated for the kind information of the Hon'ble Members:-

1. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
2. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
3. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
4. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required.
5. The seating Capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
6. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

**Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary**

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 / 08 आषाढ़, 1939 (शक)

सं. 105

विषय: "दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश"

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देश माननीय सदस्यों की सूचना हेतु पुनः जारी किये जाते हैं:-

1. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
2. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र तब तक स्वीकार न किया जायेगा जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
3. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. दर्शक दीर्घा के पास जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए पास चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराह्न 5:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं।
5. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
6. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

**प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव**